Regarding alleged diversion of funds allocated for SC/ST

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ (मुम्बई उत्तर-मध्य) : महोदय, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) उप-योजनाओं (सब-प्लान) बजट को जो डायवर्ट किया जाता है, उसका जो डायवर्जन होता है, उसके रोकने और इसे कानूनी दर्जा देने की मैं माँग करना चाहती हूँ ।? (व्यवधान)

महोदय, मुझे आपसे कहना है कि भारतीय संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक प्रावधान किया है ।? (व्यवधान) उनको सुरक्षित किया है ।? (व्यवधान) उनकी जितनी आबादी है, उसके अनुसार उनको फंड मिलना चाहिए ।? (व्यवधान) उनके लिए सब-प्लान बनना चाहिए ।? (व्यवधान) दुर्भाग्यवश मैंने ऐसा देखा है कि जो यह सब-प्लान होता है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बना होता है, मैंने सरकार में देखा है कि उसका डायवर्जन किया जाता है ।? (व्यवधान) कभी जलसंधारण के लिए किया जाता है ।? (व्यवधान) कभी रास्ते के लिए किया जाता है ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड कीजिए । एक मिनट हो गया है । आपकी डिमांड क्या है?

? (व्यवधान)

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ : सर, मेरा यह कहना है कि उनके लिए जनरल बजट है ।? (व्यवधान) यह बजट इस समाज के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के उपयोग में आना चाहिए ।? (व्यवधान)